रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2162]	नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 5, 2019/आषाढ़ 14, 1941
No. 2162]	NEW DELHI, FRIDAY, JULY 5, 2019/ASHADHA 14, 1941

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019

का.आ. 2384(अ).— यतः, केन्द्रीय सरकार ने, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 11 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का. आ. 1228 (अ), तारीख 16 मई, 2013 द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग-28 (पुराना रारा- 233) के घाघरा ब्रिज (इंडो नेपाल सीमा) से वाराणसी सेक्शन के 121.800 कि.मी. से 298.450 कि.मी. तक का खण्ड भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'प्राधिकरण' कहा गया है) को सौंपा है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण एवं संग्रहण) नियम, 2008 (जिसे इसमें इसके पश्चात" नियम" कहा गया है), के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 233 के डिजाइन 121.800 कि.मी. से 180.420 कि.मी (घाघरा पुल के विद्यमान 2 लेन की टोलिंग को छोड़कर जिसकी 2.23 किमी की लंबाई की संरचना है) तक घाघरा पुल - वाराणसी सेक्शन के उपयोग हेतु सड़क खंड की निवल लंबाई 32.370 कि.मी. और 1.880 कि.मी (जिसकी लबाई 0.188 किमी है) लंबाई की समकक्ष संरचना (जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है) के लिए यांत्रिक वाहनो पर सारणी 1 के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 100% की दर और सड़क खंड की निवल लंबाई 1.070 किमी के लिए सारिणी (1) के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट दरों के 60% की दर और बाइपास जिसकी लम्बाई 22.762 कि.मी. और लागत दस करोड़ रु. या अधिक है के उपयोग हेतु नीचे सारिणी (1) के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट प्रकार के वाहनों पर 150% की आधार दर से शुल्क उदग्रहीत करती है एवं प्राधिकरण को अपने अधिकारियों के माध्यम से अथवा संविदाकार के माध्यम से उक्त शुल्क को संग्रहीत करने के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

सारणी 1	
वाहन का प्रकार	आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति कि.मी. शुल्क की आधार दर (रूपए में)
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहक वाहन अथवा मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी वाले)	2.20
तीन धुरी वाले वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी संनिर्माण मशीनरी (एच.सी.एम॰) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ई.एम.ई) या बहुधुरीय वाहन (एम.ए.वी.) (चार से छह धुरी वाले)	3.45
बड़े आकर वाले वाहन (सात या अधिक धुरी वाले)	4.20

1.नीचे **उदग्रहीत** एवं संग्रहीत शुल्क, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) पर, ऐसे शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) के लिए विनिर्दिष्ट सड़क की निवल लम्बाई हेतु शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-2			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	प्रभावी सेक्शन (डिज़ाइन चैनेज)	सड़क लम्बाई (किलोमीटर में) जिसके लिए शुल्क संदेय है	दर जिस पर शुल्क संदेय है
अंबेडकर नगर जिले में अमड़ी गांव के निकट 164.750 किमी पर विद्यमान चैनेज (डिज़ाइन चैनेज 164.750किमी)	121.800 किमी से 180.420 किमी(121.835 किमी से 124.065 किमी तक, घाघरा पुल के 2.23 किमी को छोड़कर)	32.370 किमी (10 करोड़ रूपए से अधिक लागत के बाइपास और 60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचनाओं को छोड़कर)	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
		1.070 किमी	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2 उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित संरचनाओं, जिनकी लम्बाई 60 मीटर से अधिक है, के उपयोग के लिए ऐसी संरचनाओं की लम्बाई को समकरण गुणक 10 से गुणा करके राजमार्ग की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित करते हुए, निम्नलिखित शुल्क प्लाजा (प्लाजाओं) पर, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-3			
शुल्क प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	सड़क की समकक्ष लम्बाई में परिवर्तित किए जाने हेतु संरचनाओं की लम्बाई (कि.मी. में)	सड़क की समकक्ष लम्बाई (कि.मी. में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
अंबेडकर नगर जिले में अमड़ी गांव के निकट 164.750 किमी पर विद्यमान चैनेज (डिज़ाइन चैनेज 164.750किमी)	0.188*	1.88	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
कुल लंबाई	0.188	1.88	

*60 मी से अधिक लंबाई की संरचना का ब्यौरा निम्नलिखित है:

	60 मी से अधिक लंबाई की संरचना			
	संरचना का अवस्थान (चैनेज किमी)			लंबाई (किमी)
क्रम सं.	से	तक	संरचना	
1	131.572	131.760	आरओबी (टांडा बाइपास पर)	0.188
			कुल	0.188

3. उपर्युक्त के अतिरिक्त, बाइपास जिनकी लागत 10 करोड़ रुपए अथवा अधिक है, के उपयोग के लिए निम्नलिखित शुल्क प्लाजा पर, ऐसे शुल्क प्लाजा के लिए विनिर्दिष्ट बाइपास की निवल लम्बाई हेतु, निम्नलिखित शुल्क भी शोध्य और संदेय होगाः

सारणी-4						
शुल्क प्लाजा(प्लाजाओं) का अवस्थान (चैनेज)	बाइपास का नाम	डिज़ाइन चैनेज		बाइपास की लम्बाई और लागत जिसके लिए अतिरिक्त शुल्क संदेय है(किमी में)	लागत (करोड़ रूपए में)	दर जिस पर शुल्क संदेय है
		पर शुरू हो कर	पर मिलते हुए			
अंबेडकर नगर जिले में अमड़ी गांव के निकट 164.750 किमी पर विद्यमान चैनेज (डिज़ाइन चैनेज 164.750किमी)	टांडा	126.580	137.880	11.112 (60 मीटर से अधिक लम्बाई की संरचना को छोड़कर)	159.03	ऊपर सारणी-1 में उल्लिखित आधार दरों का 150%
	बसखरी	147.800	151.050	3.25	45.91	
	सुकुल बाज़ार	154.900	157.700	2.80	39.56	
	अतरौलिया	169.300	174.900	5.60	79.11	
			कुल लंबाई	22.762		

4. जिस व्यक्ति का अपना यांत्रिक वाहन, गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत हुआ हो और वह शुल्क प्लाजा से बीस किलोमीटर तक की दूरी में ही रहता हो, उसके लिए वर्ष **2019-20** के लिए मासिक पास की दर **265.00/-**रूपए (दो सौ पैंसठ रूपए मात्र) होगी और राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क (दरों का अवधारण और संग्रहण) नियम**, 2008** के उपबंधों के अनुसार उसमें प्रत्येक वर्ष संशोधन किया जायेगा।

5. राजमार्ग खण्ड पर बहुयात्राओं हेतु पास निम्नलिखित दरों पर जारी किया जाएगा, अर्थात्:

सारणी-5		
संदेय राशि	अनुज्ञात एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	मान्यता अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए शुल्क का डेढ़ गुना	दो	संदाय के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए संदेय शुल्क की राशि का दो-तिहाई	पचास	संदाय की तारीख से एक मास

6. जिस जिले में शुल्क प्लाजा पड़ता है उस जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहन (राष्ट्रीय परमिट के अधीन चल रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए शुल्क उस श्रेणी के लिए वाहन के लिए विनिर्दिष्ट शुल्क का **50%** होगा बशर्ते के ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के उपयोग के लिए कोई सर्विस रोड अथवा वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हो।

7. जो यांत्रिक वाहन अपनी श्रेणी के लिए निर्धारित अनुज्ञेय भार की अपेक्षा अधिक भार से लदा हुआ होगा उसके चालक अथवा मालिक अथवा प्रभारी व्यक्ति को ऐसे अधिक भार से लदे हुए वाहन को राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रवेश कराने के लिए शुल्क संग्रहण एजेंसी को उक्त नियमों के 10 के उप नियम 1ए के अनुसार विनिर्दिष्ट शुल्क का भुगतान करना होगा और उसे राजमार्ग खण्ड का उपयोग करने की तब तक अनुमति नहीं होगी जब तक कि ऐसे यांत्रिक वाहन से अधिक भार को हटा न दिया जाए।

8. यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, उनके लिए अनुज्ञेय भार, छूट-प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क आदि सहित सभी परिभाषाएं नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुसार होंगी।

9. उक्त नियमों के नियम **12** के अनुसार, उपयोगकर्ताओं की जानकारी के लिए शुल्क की दरों को प्रदर्शित किया जाएगा।

10. ऊपर सारणी-1 में यथा-उल्लिखित, आधार वर्ष **2007-08** के लिए प्रति किलोमीटर शुल्क की आधार दर के आधार पर, यांत्रिक वाहनों से लिए जाने वाले वास्तविक शुल्क और कटौतियों की गणना प्राधिकरण द्वारा खंडों की पूरी कर ली गई लम्बाई के आधार पर की जायेगी और उसमें उक्त नियमों के **नियम 5** के अनुसार वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा तथा उसे, तदनुसार, अंग्रेजी और स्थानीय भाषा के कम-से-कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

11. इस **परियोजना की अनुमानित पूंजीगत लागत 1902.76 करोड़ रुपए है**। प्राधिकरण द्वारा प्रयोगकर्ताओं से वसूल किए गए शुल्क के जरिए पूंजीगत लागत की वसूली का रिकार्ड रखा जाएगा और पूंजीगत लागत की वसूली हो जाने के पश्चात, लगाए जाने वाले शुल्क की दरों को घटाकर **40%** कर दिया जाएगा और उक्त नियमों के अनुसार इस में वार्षिक तौर पर संशोधन किया जाएगा।

[फा.सं. भारराप्रा/13013/सीओ /547/18-19/जीसी-आजमगढ़ (121.800 किमी-180.420 किमी)]

प्रियांक भारती, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th July, 2019

S.O.2384 (E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways number S.O. 1228 (E) dated 16th May'2013 issued under section 11 of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the Central Government has entrusted the stretch from Ghaghra Bridge (Indo Nepal

Border) to Varanasi section of new NH-28 (old NH-233) from Km.121.800 to Km.298.450 in the State of Uttar Pradesh to the National Highways Authority of India (hereinafter referred to as the “Authority”);

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the “rules”), the Central Government hereby levies the fee on the type of mechanical vehicles in column (1) at hundred percent of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 32.370 km and for equivalent structure length (having more than 60 m length) of 1.880 km (having length of 0.188 km), and at sixty percent of the rates specified in column (2) of the Table 1 for net road length of 1.070 km and at one hundred and fifty percent of the base rate for bypass having length of 22.762 km costing rupees ten crore or more on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below for the use of Ghaghra Bridge-Varansi Section from design km 121.800 to km 180.420 (excluding tolling of existing 2 lane Ghaghra bridge having structure length of 2.23 km) to the of National Highway No. 233 in the State of Uttar Pradesh and authorize the said Authority to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:-

Table-1

Type of vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza(s) for net road length specified for such fee plaza(s), namely: -

<table>
<tr><th colspan="4">Table-2</th></tr>
<tr><th>Location of Fee Plaza (chainage)</th><th>Influence Section (design chainage)</th><th>Road Length (in km) for which Fee is payable</th><th>Rate at which fee is payable</th></tr>
<tr><td>(1)</td><td>(2)</td><td>(3)</td><td>(4)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Existing chainage at Km.164.750 (design chainage km 164.750) near Village Amdi, Ambedkar nagar District</td><td rowspan="2">km 121.800 to km 180.420 (excluding 2.23 km Ghaghra bridge from km 121.835 to km 124.065)</td><td>32.370 km
(Excluding Bypass costing Rs. 10 Cr. or more and length of structures > 60 m)</td><td>100% of the base rates mentioned in Table-1 above</td></tr>
<tr><td>1.070 Km</td><td>60% of the base rates mentioned in Table-1 above</td></tr>
</table>

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60 m at the following fee plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalisation factor of 10:

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length	Equivalent Road length (in km)	Rate at which fee is payable
Existing chainage at Km.164.750 (design chainage km 164.750) near Village Amdi in Ambedkar nagar District	0.188*	1.88	100% of the base rates mentioned in Table-1 above
Total Length	**0.188**	**1.88**	

*Details of structure having length more than 60m is as under:

S. No.	Structure having length more than 60 m			
	Location of Structure (Chainage Km.)			Length (Km.)
	From	To	Structure	
1	131.572	131.760	ROB (on Tanda Bypass)	0.188
			Total	**0.188**

3. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following bypasses costing Rs. 10 crore or more, at the following Fee Plaza, for the length of bypass specified for such Fee Plaza: -

Table-4

Location of Fee Plaza(s) (chainage)	**Name of the Bypass**	**Design Chainages**		**Length of bypass (in km) for which additional fee is payable**	**Cost (in Crore)**	**Rate at which fee is payable**
		Taking off at	Merging at			
Existing chainage at Km.164.750 (design chainage km 164.750) near Village Amdi, Ambedkar nagar District	Tanda	126.580	137.880	11.112 (excluding length of structure > 60 m)	159.03	150% of the base rates mentioned in Table-1 above
	Baskhari	147.800	151.050	3.25	45.91	
	Sukul Bazar	154.900	157.700	2.80	39.56	
	Atrauliya	169.300	174.900	5.60	79.11	
			Total Length	22.762		

4. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is Rs. 265 (Rupees Two Hundred and Sixty-five only) for the year 2019-20 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

5. For multiple journey on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely: -

Table-5

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty four hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

6. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle, provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

7. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in Sub-rule 1A of rule 10 of the said rules and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

8. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road, etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

9. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said Rules.

10. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicles and the discounts will be calculated by the Authority on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the Rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper, in English and vernacular language.

11. The estimated capital cost of the project is Rupees 1902.76 Crore. The capital cost is subject to variation as the activities of land acquisition, utility shifting, tree cutting etc. are yet to be completed. The final capital cost will be notified separately. The Authority shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realized and after recovery of the capital cost, the fee leviable shall be reduced to 40% of the rates and shall be revised annually in accordance with the said rules.

[F.No. NHAI/13013/CO/547/18-19/GC-Azamgarh (km 121.800-km 180.420)]

PRIYANK BHARTI**,** Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA
Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2019.07.08 21:26:01 +05'30'